



क्रमांक 236/बै.प्र./विद्यापरिषद्/2024

बिलासपुर, दिनांक : 14.10.2024

कार्यालयीय ज्ञाप

इस कार्यालय की अधिसूचना क्रमांक 175/बै.प्र./2021 बिलासपुर दिनांक 28.10.2021 की निरंतरता में, केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 के परिनियम 13 (संशोधित) के प्रावधानानुसार विश्वविद्यालय की विद्यापरिषद् में निम्नानुसार सदस्य का नामांकन किया जाता है :-

1. 13(1)(iv) शिक्षण विभाग/केन्द्र के विभागाध्यक्ष

- | | | |
|---------------------------------|---|---|
| 1. अंग्रेजी विभाग | — | प्रो० अनुराग चौहान, आचार्य
के स्थान पर
प्रो० आर. सुब्रमनी, आचार्य |
| 2. इन्फार्मेशन टेक्नालॉजी विभाग | — | डॉ० रोहित राजा, सह-आचार्य
के स्थान पर
प्रो० मनोज कुमार, आचार्य |

इस श्रेणी के अंतर्गत उपरोक्त सदस्यों का कार्यकाल पदेन पद अथवा विद्यापरिषद् के कार्यकाल जो भी पहले हो के साथ समाप्त होगा।

आदेशानुसार

कुलसचिव (कार्यवाहक)

बिलासपुर, दिनांक : 14.10.2024

पृ० क्रमांक 237/बै.प्र./विद्यापरिषद्/2024

प्रतिलिपि :-

01. कुलपति/कुलसचिव के सचिव/निज सहायक की ओर कुलपति महोदय/कुलसचिव जी के अवलोकनार्थ प्रेषित।
02. विद्यापरिषद् के समस्त सम्माननीय सदस्यों की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
03. संबंधितों को सूचनार्थ प्रेषित।
04. प्रभारी, विश्वविद्यालय वेब पटल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

कुलसचिव (कार्यवाहक)